अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) वर्तमान वर्ष के दौरान मन्त्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 28-3-87 और 11-9-87 को दो बैठकें आयोजित की गयी । मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में बारी-बारी आमंत्रित किया जाता है । मन्त्रालय के अधीनस्थ सम्बद्ध कोई कार्यालय आदि नहीं है ।

(ख) मंत्रालय में हिन्दी अनुभाग सहित 10 अनुभाग है जिनमे एक अनुभाग-सामान्य अनुभाग में 17-10-85 से शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी मे किया जा रहा है तथा दो अन्य अनुभागो मे क्रमशः 17-7-86 और 27-3-87 से प्रारम्भ में 25 प्रतिशत कार्य हिन्दी मे किया जा रहा है ।

(ग) मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन किया जाता है ।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

727 **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति मे सभी स्तरो पर गैर-सरकारी सदस्यो को पर्यवेक्षक के रूप मे नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) मन्त्रालय, इसके विभागो, संस्थानो और अधीनस्थ कार्यालयो मे हिन्दी अनुभागो को छोडकर किस-किस अनुभाग मे शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी मे किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 33) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) कलेन्डर वर्ष 1987 के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की अब तक 3 बैठके हुई है । अन्य बैठक 17-11-87 को होनी है । गैर-सरकारी व्यक्तियो को राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में पर्यवेक्षक के रूप मे नामित नही किया जाता, क्योंकि ये विभागीय समितिया हैं । तथापि, इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के एक गैर-सरकारी सदस्य को इस मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठको मे आमंत्रित किया जाता है । कुछ माध्यम एकक भी हिन्दी सलाहकार समिति के एक गैर-सरकारी सदस्य को अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति मे आमंत्रित करते है ।

(ख) इस मंत्रालय के किसी भी अनुभाग मे शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी मे नही हो रहा है । तथापि, इस मंत्रालय मे कतिपय विषय निर्धारित किये गये है जिनका निपटान करने के लिए हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों मे हिन्दी का प्रयोग करने के लिये कहा गया है । इस मंत्रालय के कुछ माध्यम एककों ने कुछ अनुभागो का भी चयन किया है जिनमें अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के प्रयास किये जाते है ।

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को इस मंत्रालय और इसके माध्यम एककों मे यथासंभव कार्यान्वित

किया जा रहा है। इसके कार्यान्वियन पर इस मंत्रालय तथा संबंधित माध्यम एककों द्वारा निगरानी रखी जाती है तथा जहां आवश्यक समझा जाता है, स्थिति मे सुधार के लिये उपचारी उपाय किये जाते हैं।

Welfare Schemes for Disabled Children in Rajasthan

728. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what are the schemes introduced for the welfare of the disabled children in the State of Rajasthan during the last three years; and

(b) the details thereof and the amount allocated for them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

There is no scheme of this Ministry exclusively for disabled children. However, there are three Schemes directly administered by this Ministry under which grants are given for the Welfare of the Disabled, including disabled children. These Schemes are (i) Scheme of Assistance to Voluntary Organisation working for the Welfare of Disabled Persons (ii) Scheme of Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting of aids/appliances and (iii) the Scheme of Scholarship for Disabled students for studies from class IX upwards including MA, MScs, MBBS, LLB.; BE/M. Tech, professional training etc.

During the year 1984-85, 1985-86 and 1986-87 the following grants were released under the above mentioned three schemes to Rajasthan:—

S. No.	Name of the Vol. orgs.	Amount of grant released to the Orgs. Working in the State of Rajasthan during the years : 1984-85 (Rs.)	1985-86 (Rs.)	1986-87 (Rs.)
	(i) Scheme of Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting of aids/appliances.			
1.	Bhagwan Mahaveer	15,00,000/-	17,00,000/-	20,00,000/-
	(ii) Scheme of Assistance to Org. for the disabled person			
1.	Badhir Bal Vikas Kendra, Kota	1,50,000/-	1,50000/-	..
2.	Jeevan Nirman Sansthan, Bharatpur	1,00,000/-	..	70,000/-
3.	Netraheen Vikas Sansthan, Jodhpur	1,00,000/-	94,100/-	..
4.	Rajasthan Netraheen Kalyan Sangh, Jaipur	50,000/-	..	..
5.	Badhir Bal Vikas Samati, Ajmer	6,000/-	1,50,000/-	1,50,000/-
6.	Indian Council of Social Welfare, Jaipur	1,36,145/-	1,58,967/-	..
7.	Pragya Chaakshu Shikshan Sansthan, Udaipur	10,000/-	..	..
8.	L.K.C.Sh. Jadgamba Andh Vidyalaya, Shri Ganga Nagar	..	1,64,300/-	4,25,511/-
9.	Viklang Kalyan Samati, Udipur	..	7,580/-	..
		5,52,145	7,24,947	6,45.511